

9

15/11/18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाड़ी (सीकर)
 लोक अदालत
 पीठसीन अधिकारी

15/11/18

रामगढ़-शेखवाड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में आपल दरमद शीष किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी।

1690
 21.5.18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाड़ी (सीकर)
 लोक अदालत
 पीठसीन अधिकारी

15/11/18

आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	खाला संख्या	ग्राम
103 गामा 98 प्रविष्टि	103 गामा 98 प्रविष्टि	103 गामा 98 प्रविष्टि	214 गामा 12
103 गामा 98 प्रविष्टि	103 गामा 98 प्रविष्टि	103 गामा 98 प्रविष्टि	214 गामा 12
103 गामा 98 प्रविष्टि	103 गामा 98 प्रविष्टि	103 गामा 98 प्रविष्टि	214 गामा 12

आदेश :-
 व. मू. अ. नि. 10201 की रिपोर्ट के खाला दुल्हनी प्रथम पर एवं पदवारी 10201 व. मू. अ. नि. 10201 की रिपोर्ट में रामगढ़-शेखवाड़ी की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान मू. - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसंधान में व. मू. अ. नि. 10201 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
 103 गामा 98 प्रविष्टि

रामगढ़-शेखवाड़ी (सीकर) उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत / कैम कोर्ट / कैम
 पीठसीन अधिकारी